


श्रीधर

२३/२/८८

प्राणी उफ। प्राणी सचिव चॉलपूर सदरती मंत्री विकास बेंडु  
 लि. चॉलपूर ने अपने पत्रों ॥५१ दिनांक २३/२/८८ के द्वारा  
 बेंडु की तरफ से पत्र रखने एवं पेंचवी करने हेतु अनुपम  
 गुप्ता शाय्या सचिव शाय्या चॉलपूर/राजखेरा के नियुक्त  
 बिधा हैं जो शा.मि. है। प्राणी ने अपने पत्रों ॥२५ दिनांक  
 १५/२/८८ के द्वारा अपगत किया है कि अप्राणीगत शब्दी  
 वर्गों ने सम्पूर्ण प्रण चुरा कर लिया है। वर्तमान में  
 बेंडु का कोई प्रण वकाफा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्राणी  
 के विरुद्ध धारा १०३ के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करनी है  
 प्रकरण को इसी दर पर स्वरिज छोड़े जाने तथा  
 प्राणीको की ~~श~~ रघुनाथ कृषि मूत्रि के बेंडु के  
 नाम अन्तर्गत <sup>के</sup> कार्यवाही को निरस्त छोड़े जाने  
 की शर्तोंका ही है जो शा.मि. है।

अतः प्राणी के प्राणी पत्र पर प्रकरण में कार्यवाही  
 इसी दर पर समाप्त हो जाकर प्राणी पत्र प्राणी  
 स्वरिज बिधा जाता है। पत्रावली फॉयल शुद्धा दोहर  
 माहत् ले कम की जाकर बाद तकनीक दायरेल दर  
 है।

  
 श्रीनिधि बी टी  
 जिला कलेक्टर, धौलपुर